#### 1

## <u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र0)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 107 / 13</u> <u>संस्थित दिनांक -07 / 02 / 13</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

- 01. जीतलाल पिता धूरनसिंह मरावी उम्र 39 वर्ष निवासी सिंगबाघ थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0
- 02. शीलाबाई पति जीतलाल मरावी उम्र 35 वर्ष निवासी सिंगबाघ थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपीगण

# :<u>:निर्णय::</u> { दिनांक **24 / 10 / 2016** को घोषित}

- 01. अभियुक्त जीतलाल एवं शीलाबाई पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34, 506भाग—दो के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उक्त अभियुक्तगण ने दिनांक 25.01.2013 को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम सिंगबाघ थाना बैहर अंतर्गत लोक स्थान पर प्रार्थी पुसियाबाई को अशलील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं अन्य को क्षोभ कारित किया तथा पुसियाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में लकड़ी एवं हाथ, चप्पल से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहित कारित की तथा पुसियाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी पुसियाबाई ने थाना बैहर में सूचना दी की दिनांक 25.01.2013 को दिन शुक्रवार शाम 06:00 बजे उसके पड़ोस के जीतलाल की मुर्गी और बकरियां बाड़ी में घुसकर नुकसानी की तो उसने जानवरों को व्यवस्थित चराने एवं रखने को बोली जिस पर जीतलाल गोंड़ मां बिहन की अश्लील गालियां देकर लकड़ी से बांयी पसली तथा पीठ पर मारा एवं उसकी पत्नी शीलाबाई गोंड ने लात चप्पल से मारपीट की, दोबारा जानवरों के बारे में बोलने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दी। सूचना पर अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर फरियादी का मुलाहिजा

करवाया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया जिसके पश्चात अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

- 03. अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है और उन्हें झूठा फसाया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि :—
  01. क्या घटना दिनांक 25.01.2013 को शाम करीब 06:00 बजे ग्राम सिंगबाघ थाना बैहर अंतर्गत लोक स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को अशलील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
  - 02. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी को लकड़ी एवं हाथ, चप्पल से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
  - 03. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक सयम व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

## ::सकारण निष्कर्ष::

## विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

05. साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। पुसियाबाई (अ०सा०1) के अनुसार घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 07:00 बजे की है वह अपने घर पर थी और उसके द्वारा आरोपी जीतलाल को गाय, बकरी से नुकसानी होने की बात बोला गया था, तो शाम सात बजे आरोपीगण उसके घर आये और उसे लकड़ी से मारपीट किये थे। फिर आरोपीगण घसीटकर उसे अपने घर के दरवाजे पर ले गये थे और वहां चप्पल और जूते से मारपीट किये थे जिसमें उसे पीठ के दाहिने तरफ चोटे लगी थीं। उसने घटना की रिपोर्ट बैहर में की थी तथा पुलिस ने घटनास्थल बताया था आरोपी जीतलाल उसे शराब पीकर दैया—मैया की गाली दे रहा था। उसने भी गाली दी थी। घटना की पुष्टि जानकीबाई (अ०सा०2) ने की है, साक्षी के अनुसार आरोपी जीतलाल ने पुसियाबाई को लकड़ी से मारपीट किया था। शीलाबाई ने पुसियाबाई को नहीं मारा था।

- 06. मन्नूसिंह (अ०सा०३) ने घटना से स्पष्ट इंकार कर पुलिस को कोई बयान नहीं देना व्यक्त किया है। डां. एन.एस. कुमरे (अ०सा०४) ने दिनांक 25.01.2013 को परिवादी पुसियाबाई के परीक्षण करने पर उसके दाहिने सीने के पार्श्व भाग पर कंटीयूजन और दाहिने एल्बो ज्वाइंट के पैराईटल भाग पर एब्रेजन प्र.पी०1 के अनुसार पाया था। साक्षी के अनुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी जो कड़ी बोथरी वस्तु से आना संभावित होकर जांच के छः घण्टे के भीतर की थीं।
- 07. रामभजन साहू (अ०सा०५) के अनुसार उसने दिनांक 25.01.13 को थाना बैहर में पुसियाबाई की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी०२ कमांक 14/13 लिखा गया था। जिसके ए से ए भाग साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर अंगूठा निशानी पुसियाबाई का था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत का मुलाहिजा फार्म भरकर शासकीय अस्पताल बैहर भेजा गया था। अजीज खान (अ०सा०६) ने तलाशी एवं गिरफतारी कार्यवाही से इंकार कर तलाशी पंचनामा प्र.पी०3 तथा गिरफतारी पत्रक प्र.पी०4 एवं प्र.पी०5 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।
- 08. अशोक कुमार गर्ग (अ०सा०७) के अनुसार वर्ष 2013 में थाना बैहर में अपराध कमांक 14/13 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 27.01.2013 को घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया जो प्र.पी०६ है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुसियाबाई, जानकीबाई, मन्नूसिंह से पूछताछ कर उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण जीतलाल मरावी तथा शीलाबाई मरावी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने परन्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।
- 09. पुसियाबाई (अ०सा०1) और डां. कुमरे (अ०सा०4) के कथनों से घ । टना के समय पुसियाबाई को चोटें आना प्रमाणित हैं। पुसियाबाई (अ०सा०1) के अनुसार आरोपीगण ने उसे चप्पल, जूते एवं लकड़ी से मारपीट किये थें। यद्यपि साक्षी जानकीबाई (अ०सा०2) ने केवल जीतलाल द्वारा लकड़ी से मारपीट करने के कथन किये हैं। तथापि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घ । टना के समय अंधेरा था वह झगड़ा खत्म होने के बाद गयी थी और किसने किसको मारा था नहीं देखी थी। आरोपीगण द्वारा मारपीट के संबंध में पुसियाबाई की साक्ष्य अखण्डनीय है तथा उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। यद्यपि पुसियाबाई ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसकी पूर्व रंजिश चली आ रही है। तथापि मात्र उक्त कारण से प्रार्थी की बात पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व रंजिश दो धारी तलवार की तरह है जिसका उपयोग यदि प्रार्थी द्वारा आरोपीगण को फसाने केलिए किया जा सकता है।
- 10. प्रकरण में संपत्ति जप्त नहीं की गयी है अपितु तलाशी पंचनामा प्र.पी03 प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रमाणित नहीं है। क्योंकि पंचनामा के साक्षी अजीजखान (अ०सा०६) ने उक्त पंचनामा से स्पष्ट इंकार किया है जबकि

विवेचक साक्षी अशोक कुमार गर्ग (अ०सा०७) ने पंचनामा के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। तथापि उक्त अधूरी विवेचना का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे अभियुक्तगण को कोई प्रतिकूल प्रभाव दर्शित नहीं है। घटना के समय आरोपीगण द्वारा प्रार्थी पुसियाबाई से मारपीट दर्शित है जिससे कारित चोटें प्रमाणित हैं अभियुक्तगण जीतलाल और शीलाबाई को पुसियाबाई द्वारा कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया ऐसे तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण ने चरने की बात पर परिवादी स्वेच्छया चोटें कारित की यह घटनाकम से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। अभियुक्तगण ने ध ाटना के पूर्व पुसियाबाई के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया क्योंकि पुसियाबाई द्वारा अभियुक्त जीतलाल को गाय बकरी से नुकसानी होने की बात पर अभियुक्तगण द्वारा पुसियाबाई से जाकर मारपीट की गयी थी।

- अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित न करने और संत्रास के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। पुसियाबाई (अ०सा०1) के अनुसार जीतलाल ने उसे शराब पीकर दैया–मैया की गाली दी थी जिस पर उसने ऐसी गाली दी थी। जानकीबाई (अ०सा०२) के अनुसार उसके सामने कोई गाली गलौच नहीं हुई थी। स्वयं प्रार्थी ने विवाद में अभियुक्त जीतलाल के गाली देने पर गाली देने के कथन किये हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को क्षोभ कारित नहीं किया गया था। क्योंकि केवल अश्लील गालियां धारा 294 भा.द.सं. अपराध गठित नहीं करती है। जान से मारने की धमकी के संबंध में किसी प्रकार के तथ्य साक्ष्य में नहीं किये हैं। परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण जीतलाल तथा शीलाबाई को धारा 294 तथा 506 भा.द.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है
- अतः अभियुक्तगण को धारा २९४ तथा ५०६ भाग–दो भा०द०सं० 12. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। परंतु अभियुक्तगण को धारा 323 / 34 भा0द0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- दण्ड के बिंदु पर अभियुक्तगण को सुनने के लिए निर्णय स्थगित 13. किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित एवं खुले न्यायालय में घोषित (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर बालाघाट म0प्र0

दण्ड के बिंदु पर अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि वे प्रथम अपराधी हैं अतः उनके विरूद्ध नर्म रूख किया जावे। तर्को पर विचार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है लेकिन उन्होंने जिस तरह से चराने की बात पर परिवादी से मारपीट कर उसे उपहित कारित की है उसे देखते हुए उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरूद्ध नर्मरूख लिया जाना उचित नहीं होगा। अपितु उन्हें एक शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित होगा।

- 15. अतः अभियुक्तगण जीतलाल पिता धूरनसिंह तथा शीलाबाई पित जीतलाल को धारा 323/34 भा०द०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक का कारावास और 500–500/—(पांच सौ—पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 (पन्द्रह) दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 16. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं०प्र०सं० के तहत परिवादी पुसियाबाई को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 17. प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। इस के बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावें।
- 18. मामले में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 19. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 20. अभियुक्तगण को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं०प्र०सं० के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)